कलकत्ता पत्तन न्यास श्रेणी -1 कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति) विनियम , 1986

Calcutta Port Trust Class-I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement)Regulations ,1986

संशोधन/ Amendments ;-

1. जी एस आर सं. 412 (ई) दिनांक 8 अप्रैल 1992
   GSR No. 412 (E) dated 8th April 1992

कोलकाता पत्तन न्यास
Kolkata Port Trust

A. E. R. Regulations 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-   REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 510] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 1986/कार्तिक 13, 1908
No. 510] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1986/KARTIKA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1179(अ) :—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन के लिए न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कलकत्ता पत्तन न्यास श्रेणी 1 कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1986 का अनुमोदन करती है और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट करती है ।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

[फाइल सं. पी.डब्ल्यू./पी.ई.आर.-8/85]
पी.एम. अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्-द्वारा निम्न विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी कर्मचारियों (सेवा निवृत्ति के पश्चात् रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1986 कहा जाएगा ।

(2) केंद्र सरकार की मंजूरी के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. लागू होना :—ये विनियम प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व प्रथम श्रेणी के पद पर सेवा निवृत्ति के तत्काल पहले पूर्वाधिकार रखने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे । परन्तु अंशकालिक, केंद्र या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए या अन्य साधनों से आए अधिकारियों पर ये विनियम नहीं लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं :—इस विनियम में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बोर्ड" और "अध्यक्ष" से वही तात्पर्य होगा जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963 (1963 का 38) में परिभाषित किया गया है।

(ख) "प्रथम श्रेणी पद" से तात्पर्य उस शब्द से है जो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियमों में परिभाषित है और जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रथम श्रेणी पद से वर्गीकृत किया गया है।

(ग) "व्यावसायिक सेवा योजना" से तात्पर्य किसी भी हैसियत में सेवा योजना जिसमें किसी कंपनी, सहकारी समिति, फर्म का एजेंट या व्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वित्तीय या व्यवसाय अथवा उनके ठेकेदार या सार्वजनिक निर्माण के ठेकेदार या उनके कर्मचारी या ऐसी कंपनियों के निदेशक पदधारी या फर्म के हिस्सेदार शामिल हैं परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन संस्था निगम के कर्मचारी इसमें नहीं आते हैं।

(1) ऐसे स्थापित या चलाए गए व्यवसाय के लिए व्यावसायिक योग्यता न रखता हो परन्तु उसके कार्यालयीन ज्ञान व अनुभव से संबंधित हों, अथवा

(2) ऐसे स्थापित या चलाए गए व्यवसाय के लिए व्यावसायिक योग्यता रखता हो परंतु उसकी पूर्व कार्यालयीन पद के प्रभाव का अनुचित लाभ उसके मुवक्किल को मिलने की आशंका हो, अथवा

(3) जहां बोर्ड के कार्यालय व अधिकारियों से जन संपर्क करने का काम शामिल हो।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के लिए "सहकारी संस्था में सेवायोजन" से तात्पर्य किसी पद जैसे अध्यक्ष, प्रधान, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या किसी ऐसे नाम वाले पद धारण करना भी शामिल है।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य इन विनियमों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(ङ.) "कर्मचारी" से तात्पर्य, बोर्ड का प्रथम श्रेणी का कर्मचारी या सेवानिवृत्ति के ठीक पहले प्रथम श्रेणी के पद पर पूर्वाधिकार रखने वाला कर्मचारी से है।

4. भारत के अन्दर व्यावसायिक सेवायोजन :—(1) पेंशन भोगी या अंशदायी भविष्य निधि से संचालित होने वाला कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष से पहले तक भारत के अन्दर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यावसायिक नौकरी नहीं स्वीकार करेगा।

परन्तु सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश/अधिवर्षिता पूर्व अवकाश पर चल रहे व पहले से ही ऐसी व्यावसायिक नौकरी करने के लिए अनुमत्य कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद ऐसी नौकरी जारी रखने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इन विनियमों के लिए अंशदायी भविष्य-निधि योजना से संचालित होने वाले कर्मचारियों की "सेवा निवृत्ति की तारीख" से तात्पर्य उस तारीख से है जिस तारीख को वह भविष्य निधि में विशेष अंशदान की अर्हक सेवा पूरी करके नौकरी छोड़े और अनवरत सेवा करते हुए पुनः सेवायोजित कर्मचारियों (चाहे प्रथम श्रेणी में या उसी श्रेणी में बोर्ड के अधीन पुनः सेवा योजित हुए हों), के मामले में "सेवा निवृत्ति की तारीख" वह होगी जब वह बोर्ड के अधीन पुनः सेवा योजन के लिए अंतिम रूप से अयोग्य हो जाए।

5. सेवानिवृत्त कर्मचारी चाहे वह पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि योजना का कर्मचारी रहा हो उक्त उप नियम (4) में व्यावसायिक नौकरी की मंजूरी लेने या न देने के संबंध में नीचे लिखे तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

(क) स्वीकार की जाने वाली प्रस्तावित नौकरी का स्वरूप व सेवा योजक का पूर्व जीवन वृत्त तथा प्रस्तावित नौकरी का स्वरूप पूरी तरह प्रतिष्ठात्मक है।

(ख) उस कर्मचारी की ड्यूटी ऐसी तो नहीं है कि बोर्ड से विरोधी कार्य व प्रकृति वाली हो।

(ग) पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि योजना के कर्मचारी का उस सेवा योजित संस्थान से कार्यालयीन कार्य व्यापार ऐसा तो नहीं रहा है उसमें नौकरी के प्रस्ताव से युक्तियुक्त पूर्ण ऐसा संदेह किया जाए कि कर्मचारी सेवायोजक के पक्ष में हित पहुंचाने का काम कर रहा है।

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक नौकरी ऐसी तो नहीं है कि बोर्ड के किसी विभाग से संपर्क या ठेकेदारी का कार्य निष्पादित किया जाए;

(ङ.) क्या कर्मचारी की ऐसी ड्यूटी तो नहीं है कि उसके बोर्ड में सेवाकालीन ज्ञान/अनुभव या पद का अनुचित लाभ सेवा योजक को मिले।

(च) सेवायोजक द्वारा प्रस्तावित परिलब्धियां;

(छ) क्या कोई ऐसी अपवादिक परिस्थिति है जिसमें ऐसी मंजूरी न देने से कर्मचारी को वास्तविक परेशानी हो सकती है,

(ज) अन्य संगत तथ्य।

नोट :—(1) बोर्ड से संपर्क व ठेकेदारी संबंधी नौकरी पूरी तरह प्रतिष्ठात्मक नहीं मानी जाएगी।

(2) इस विनियम में मंजूरी देते समय नौकरी प्रस्तावक प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा। यथा—सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज प्रतिष्ठानों की नौकरी को प्रतिष्ठात्मक नहीं माना जाएगा।

(3) अधिशाषी या प्रशासनिक प्रकृति वाले इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को बोर्ड से/की ठेकेदारी का काम या ऐसे ठेकेदारों के कर्मचारी होने के काम करने की मंजूरी सेवा निवृत्ति के दो साल के अंदर मात्र विशेष परिस्थितियों में बहुत ही कम मामलों में दी जाएगी।

6. पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि योजना के कर्मचारियों द्वारा ऐसी नौकरी के आवेदन पर उपर्युक्त नियम (5) के अधीन अध्यक्ष उक्त दशाओं में जैसा उचित समझे व्यावसायिक नौकरी चाहने वाले कर्मचारियों को मंजूरी या नामंजूरी (लिखित कारण बताते हुए) दे सकते हैं।

7. जहां उक्त नियम (6) में आवेदित मंजूरी की तिथि से 6 माह के अन्दर मंजूरी या नामंजूरी का आदेश अध्यक्ष से न मिले वहां यह माना जाएगा कि मांगी गयी मंजूरी दे दी गयी है।

8. जहां अध्यक्ष कोई मंजूरी सशर्त या नामंजूरी दें वहां आवेदक ऐसे आदेश के पाने के 30 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध दे सकते हैं और अध्यक्ष जैसा उचित समझें उस पर अपना आदेश पारित कर सकते हैं;

परंतु ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष या तो शर्त समाप्त कर देंगे या मंजूरी देने के अलावा अन्यथा आदेश नहीं देंगे और इस आदेश पर पुनः अभ्यावेदन करने का अवसर कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा।

9. भारत के बाहर सरकारी नौकरी :—यदि पेंशन भोगी कर्मचारी भारत के बाहर किसी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है तो उसे अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यदि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से पेंशन भोगी कर्मचारी कोई ऐसी नौकरी करता है तो उस अवधि के लिए या अन्य लम्बे समय के लिए जैसा अध्यक्ष निर्देश दें उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

परंतु सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर/या अधिवर्षिता पूर्व अवकाश पर पूर्व अनुमति से ऐसी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी नौकरी जारी रखने के लिए अनुवर्ती/अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—"भारत से बाहर सरकारी नौकरी" शब्द से तात्पर्य भारत से बाहर सरकारी पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन कार्यरत संस्था, संगठन, संस्थान, निगम स्थानीय निकाय के साथ सरकारी नौकरी से है। अथवा ऐसे अंतर-राष्ट्रीय संगठन के अधीन नौकरी से है जिसका सदस्य भारत नहीं है।

10. उपक्रम :—प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत हो सेवा निवृत्ति के लाभों की मंजूरी मिलने के समय इस आशय की वचन बद्धता लिखित रूप में देगा—कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना (1) सेवा निवृत्ति के दो साल के अंदर भारत में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक नौकरी नहीं करेगा (जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित किया गया है) (2) भारत से बाहर कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगा और इन विनियमों को मानने के लिए वह बाध्य होगा।

11. इन विनियमों के अंतर्गत मंजूरी पाने के लिए परिशिष्ट "क" में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन किया जाएगा।

12. शास्ति (जुर्माना) :—पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि योजना से संबंधित कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के दो साल के अंदर ही अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यावसायिक नौकरी कर लेते हैं या इस हेतु दी गई मंजूरी के नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो—

(1) अध्यक्ष कारण अभिलिखित करते हुए अपने आदेश द्वारा यदि कर्मचारी पेंशन योजना में है तो पूरी या आंशिक या आंशिक समय के लिए पेंशन बन्द कर सकते हैं।

(2) यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में है तो अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसे बोर्ड की उस सीमा तक की धनराशि की क्षति पूर्ति करनी पड़ेगी।

परन्तु सेवा निवृत्त पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि योजना के कर्मचारी को वचनबद्धता के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस दिए जाने से पहले ऐसा उपर्युक्त आदेश नहीं पारित किया जाएगा।

साथ ही ऐसा आदेश पारित करते समय अध्यक्ष महोदय नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखेंगे :

(क) सेवा निवृत्त कर्मचारी की आर्थिक परिस्थिति चाहे वह पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि योजना का कर्मचारी हो,

(ख) पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि योजना सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा व्यावसायिक नौकरी से प्राप्त परिलब्धियां व कार्य की प्रकृति

(ग) अन्य संगत मुद्दे—यदि हों।

13. पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि योजना के सेवा निवृत्त कर्मचारी को इन विनियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सूचित किया जाएगा।

14. अस्थायी कर्मचारियों को मंजूरी :—सेवा निवृत्ति से तत्काल पहले प्रथम श्रेणी के स्थानापन्न या अस्थायी पदधारी कर्मचारियों को भी इन विनियमों के अंतर्गत मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

15. निर्वचन :—इन विनियमों के निर्वचन संबंधी मामले अध्यक्ष द्वारा निर्णीत किए जाएंगे।

16. निरसन और व्यावृत्ति :—इन विनियमों के लागू होने से ठीक पहले बोर्ड द्वारा पारित असंबद्ध व विरुद्ध नियम व विनियम निरस्त समझे जाएंगे।

परंतु ऐसे निरसित नियम व विनियमों के अधीन पहले पारित किए जा चुके आदेश व की गई कार्रवाई इसी विनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मानी जाएगी।

सेवा निवृत्ति के दो साल के अंदर व्यावसायिक नौकरी स्वीकार करने की मंजूरी लेने का आवेदन-पत्र

1. अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)

2. सेवा निवृत्ति की तारीख

3. सेवा निवृति के पूर्व पांच वर्षों से की जा रही सेवा का विवरण
(अवधि के साथ)

विभाग का नाम/ कार्यालय	पद का नाम	अवधि	
		से	तक

4. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद व अवधि कब से

5. पद का वेतनमान और सेवा निवृति के समय अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वेतन का विवरण

6. पेंशन लाभ

संभावित/मंजूर (परिवर्तित पेंशन यदि कोई हो)	उपदान यदि कोई हो

7. प्रस्तावित व्यावसायिक नौकरी का विवरण :

(क) फर्म/कंपनी/सहकारी समिति आदि का नाम

(ख) क्या कार्यालयीन पद पर काम करते समय फर्म आदि से कोई व्यवहार कार्य करते रहे हैं।

(ग) अवधि/कार्य की प्रकृति

(घ) व्यवसाय/पद

(ङ) क्या पद विज्ञापित हुआ या किस प्रकार मिला।

(च) पद/काम का विवरण

(छ) क्या संपर्क/ठेकेदारी का काम

(ज) पद का पारिश्रमिक/वेतन धनराशि

(झ) अपने आवेदन के समर्थन यदि अन्य कोई सूचना आवेदक देना चाहे

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1986

G.S.R. 1179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of the section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Class I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1986 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of issue of this notification in the Official Gazette.

[File No. PW|PER-8|85]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These regulations may be called the Calcutta Port Trust Class I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the sanction of the Central Government in the official gazette.

2. Application :

These Regulations shall apply to every employee who holds Class I post or holds lien on Class I post under the Board, immediately before his retirement, but shall not apply to any such person if he is in part time employment or on deputation from the Central or State Government or other source.

3. Definition :

In these Regulations unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) 'Board' and 'Chairman' shall have the meaning assigned to them in the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963).

(b) "Class I post" shall have the same meaning as assigned to it under the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations and shall be deemed to include a post classified as Class I post from time to time by the Board.

(c) "Commercial employment" means employment in any capacity including that of an agent under a company, co-operative society, firm, or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business, or that of a contractor for or in connection with the execution of public works, or of an employee of such contractor and includes also a directorship of such company and a partnership of such firm, but shall not include employment under a body corporate, owned or controlled by the central or a State Government.

It also includes setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as an adviser or consultant in matters in respect of which a retired employee—

(i) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(ii) has professional qualifications but the management in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients unfair advantage by reason of his previous official position, or

(iii) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Board.

Explanation :

For the purpose of this clause, the expression 'employment under a co-operative society includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such a society.

(d) 'Competent Authority' shall mean the 'Chairman of the Board' for the purpose of these Regulations.

(e) 'Employee' means a retired employee of the Board who held a Class I post or held a lien on Class I post under the Board immediately before his retirement.

4. Commercial employment within India :

(1) No employee whether governed by the Pension or Contributory Provident Fund Scheme, shall accept any commercial employment within India before the expiry of two years from the date of his retirement without obtaining the previous permission of the Chairman.

Provided that an employee permitted by the Chairman to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement/ post superannuation leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

Explanation :

For the purpose of these regulations, the expression 'Date of retirement' in relation to an employee governed by Contributory Provident Fund Scheme includes the date on which such employee, after having qualified for special contribution to Provident Fund, quit service and in relation to an employee re-employed after retirement without any break, either in the same or in another Class I post under the Board, means the date on which such employee finally ceases to be so re-employed under the Board.

5. In granting or refusing permission under sub-rule (4) above to a retired employee whether on Pension Scheme or on Contributory Provident Fund Scheme for taking any commercial employment, the following factors should be taken into consideration :

(a) the nature of employment proposed to be taken up and the antecedent of the employer, viz. the proposed employment is of a throughly reputable kind.

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Board.

(c) whether the retired employee either on Pension Scheme or on Contributory Provident Fund Scheme had any such dealing with the employer under whom he proposed to seek employment as might afford a reasonable basis for suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed, involve liaison or contract work with any department under the Board.

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under the Board could be used to give the proposed employer an unfair advantage.

(f) the emoluments offered by the proposed employer.

(g) whether there is any exceptional circumstance which would make a refusal of permission a real hardship; and

(h) any other relevant fatcor.

Note : (i) Employment involving the work of maintaining liaison or contract with the Board will not be considered as employment of a thoroughly reputable kind.

(ii) The reputation of the firm which offers employment will also be taken into account while granting permission under this regulation. For instance, employment under a firm which is black-listed by Government will not be considered as employment of a thoroughly reputable kind.

(iii) In respect of officers of the Engineering Department, whether in the executive or administrative side, permission within two years of retirement for seeking employment as contractors for or in connection with the execution of works of the Board or as employees of such contractors who are executing such works, may be given very rarely and only in special circumstances.

6. Subject to the provisions of rule (5) above the Chairman may be order in writing on an application made by a retired employee either on Pension or on Contributory Provident Fund Scheme grant, subject to such condition, if any, as he may deem necessary, permission, or refuse for reasons to be recorded in the order, permission to such retired employee to take up the commercial employment specified in the application.

7. Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under rule (6) above the Chairman does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, it may be deemed that permission has been granted.

8. Where the Chairman grants the permission applied for subject to any condition or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Chairman to that effect make a representation against any such condition or refusal and the Chairman may make such orders thereon as he deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any condition shall be made under this rule without giving the retired employee whether on Pension Scheme or on Contributory Provident Fund Scheme making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

9. Employment under a Government outside India :

If the Pensioner wishes to accept any employment under any Government outside India, he shall obtain the previous permission of the Chairman for such acceptance, and no pension, shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without proper permission in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the Chairman may direct.

Provided that an employee permited by the Chairman to take up a particular form of employment under a Government outside India during his leave preparatory to retirement|post superannuation leave, shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement.

Explanation : The expression 'Employment under a Government outside India' includes employment under a local authority or corporation or any other institution or organisation which functions under the supervision or control of a Government outside India or an employment under an International Organisation of which the Government of India is not a member.

10. Undertaking :

Every employee, whether governed by the pension or Contributory Provident Fund Scheme, shall be required to sign at the time of sanctioning the retirement benefits, and undertaking to the effect that he will not accept, without obtaining the previous permission of the Chairman, (i) any commercial employment as defined in these Regulations within India before the expiry of two years from the date of his retirement and (ii) any employment under a Government outside India; and that he will be bound by the provisions of these regulations.

11. The application for permission under these regulations shall be made in the form given in Annexure 'A'.

12. Penalty :

If any retired employee whether on Pension or on Contributory Provident Fund Scheme take up any commercial employment at any time before the expiry of the two years from the date of his retirement without the prior permission of the Chairman or commits a breach of any condition subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him under these regulations—

(i) it shall be competent for the Chairman to declare by order in wrting and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such period as may be specified in the order (if he is pensioner).

(ii) he shall be liable to compensate the Board to the extent as may be specified by the Chairman in his order (if he is governed by Contributory Provident Fund Scheme).

Porvided that no such order shall be made without giving the retired employee, whether on Pension or on Contributory Provident Fund Scheme, concerned an opportunity of showing cause against such declaration.

Provided further that in making any order under this sub-rule, the Chairman shall have regard to the following factors namely :

(a) the financial circumstances of the retired employee, whether on Pension or on Contributory Provident Fund Scheme, concerned,

(b) the nature of and the emoluments from the commercial employment taken up by the retired employee, whether on pension or on Contributory Provident Fund Scheme, concerned and,

(c) any other relevant factor.

13. Every order passed by the Chairman under these regulations shall be communicated to the retired employee whether on pension or on Contributory Provident Fund Scheme as the case may be.

14. Permission in respect of temporary employees :

Permission under these regulations will be necessary even in the case of an employee who immediately before retirement held a Class I post in an officiating or temporary capacity.

15. Interpretation :

If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall be referred to the Chairman who shall decide the same.

16. Repeal and savings :

All rules and regulations which the Board adopted from time to time contrary to or inconsistent with and in force immediately before the commencement of these Regulations shall stand repealed.

Provided that any order made or any action taken under the Rules and Regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

Form of application for permission to accept commercial employment within a period of two years after retirement.

1. Name of the Officer (In block letters)

2. Date of retirement.

3. Particular of employment in which the officer served during the last five years preceding retirement (with duration).

Name of Department/Office	Post held	Duration From To

4. Post held at the time of retirement and period for which held.

5. Pay scale of the post and the pay drawn by the officer at the time of retirement

6. Pensionary benefits.

Pension expected/sanctioned (Commutation if any should be mentioned)	Gratuity, if any

7. Details regarding commercial employment proposed to be taken up :

(a) Name of the Firm/Company/Cooperative Society etc.

(b) Whether the official had, during his official career, any dealings with the firm/ etc.

*Note If the official had no dealings with the firm, company etc. in which employment is offered it may also be indicated whether the official had dealings with any other firm, company etc. under the control of the proposed employer. If so, details may be given at (c) below.

(c) Duration/nature at the official dealings with the firm.

(d) Name of job/post offered.

(e) Whether post was advertised, if not, how was offer made.

(f) Description of the duties of the job/post.

(g) Does it involve liaison/contract work with the Government departments.

(h) Remuneration offered for the post/job.

(i) Any information which the applicant desires to furnish in support of his request.

Station :

Date : Signature.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

1st

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1992/चैत्र 19, 1914

No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1992/CHAITRA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल 1992

सा. का. नि. 412 (अ) :--- केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास प्रथम श्रेणी कर्मचारी (अवकाश निवर्ती के उपरान्त पुनं नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर-12016/30/91-पी. ई I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

कलकत्ता पत्तन न्यास प्रथम श्रेणी अधिकारी

(सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति)

प्रथम संशोधन विनियम, 1992

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (38 का 1963) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 124 की उप धारा (i) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कलकत्ता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए (सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति) विनियम 1986 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम :

इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी प्रथम श्रेणी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति) प्रथम संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाएगा।

2. भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह संशोधन लागू मानी जाएगी।

3. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी प्रथम श्रेणी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति) विनियम 1986 में —

विनियम के अन्तर्गत "व्याख्या" शब्द को निम्नलिखित द्वारा प्रति-स्थापित किया जाएगा —

"इन विनियमों के प्रयोजनार्थ पेंशन अथवा सामान्य भविष्य निधि द्वारा शासित किसी कर्मचारी के संबंध में "सेवा निवृत्ति तिथि" इसमें वह तिथि शामिल है जब ऐसे किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है और बोर्ड के अधीन उसी पद पर अथवा किसी अन्य श्रेणी I पद पर सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त कर्मचारी के संबंध में यह वह तिथि समझी जायेगी जिस तिथि को ऐसे कर्मचारी की बोर्ड के अधीन इस प्रकार की पुनर्नियुक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है"।

टिप्पणी:—कलकत्ता पत्तन न्यास प्रथम श्रेणी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1986 को भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग II अनुभाग 3 (i) दिनांक 4 नवम्बर, 1986 को जी. एस. आर. 1179 (ई) के तहत दिनांक 4 नवम्बर 1986 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1992

G.S.R. 412(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Class I employees (Acceptance of Employment after Retirement) First Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/30/91-PE. I]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

Calcutta Port Trust Class-I Employees'

(Acceptance of Employment after Retirement)

1st Amendment Regulations, 1992

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (39 of 1963) and with sanction of the Central Government under Sub-section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby make the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Class-I Employees' Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1986.

1. Short Title :

These Regulations may be called the 'Calcutta Port Trust Class I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) 1st Amendment Regulations, 1992."

2. The amendment shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

3. In the Calcutta Port Trust Class-I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1986—

The "explanation" clause under Regulation 4 shall be substituted by the following—

"For the purpose of these Regulations the expression "date of retirement" in relation to an employee governed by Pension or CPF Scheme shall be deemed to include the date on which such an employee ceases to be in service and in relation to an employee re-employed after retirement either in the same or in another Class I post under the Board, shall mean the date on which such employee finally ceases to be so re-employed under the Board."

Note.—The Calcutta Port Trust Class-I Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1985 were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3(i) dated 4th November, 1986 vide G.S.R. No. 1179(E) dated 4th November, 1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992